

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान

तिलक मार्ग सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक: F-100(16)/SIHFW/Recruit-NHM/Audiologist/15-16/ 12566

दिनांक: 15-12-16

प्रोवीजनल मेरिट सूची-ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट कैंडर

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/जीएनएम/NRHM/लिखित परीक्षा-2015/2015/63 दिनांक: 12.08.15 एवं समय-समय पर प्राप्त निर्देशों द्वारा एन.एच.एम. के संविदा आधारित 19 कैंडरों (संवर्गों) हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के चयन का कार्य सौंपा गया था। शीफू द्वारा यह कार्य योग्य एजेन्सी का चयन कर सम्पन्न कराया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाने वाली भर्तियों हेतु 28.01.16 को जारी विज्ञप्ति में पद क्रमांक 8 पर उल्लेखित ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट संवर्ग के लिए आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो दिनांक 27 फरवरी, 2016 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित रहे हैं को कुल पदों की संख्या का लगभग डेढ़ गुना रोस्टर अपनाते हुए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल किया जाना था। किन्तु ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट कैंडर हेतु कुल 24 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी अतः सभी 24 (1 निःशक्तजन अभ्यर्थी सहित) अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 22 जून '16 को आमंत्रित किया गया।

ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट कैंडर के जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे, उनकी सूची का प्रकाशन किया गया था। वर्तमान मेरिट सूची इस सूची के प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों के समुचित निराकरण के उपरान्त ही तैयार किये गये हैं। इस प्रकार प्रकाशित सूची में 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं जिन्हें मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

इस प्रकार ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट कैंडर के कुल 12 पदों हेतु प्रोवीजनल मेरिट सूची निम्नानुसार है—

1) निःशक्तजन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले निःशक्तता प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय द्वारा आर.डी.बी.पी. जयपुरिया अस्पताल में आमंत्रित कर जांच करवाई गई जिससे पद हेतु निर्धारित योग्य निःशक्तजन को ही आरक्षण का लाभ दिया जा सके। इस प्रकार कुल 1 निःशक्तजन अभ्यर्थी को पृथक से दिनांक 27-30 जून '16 के दौरान दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था

2) उपस्थित निःशक्तजन लोकोमोटर श्रेणी का है और इस श्रेणी में 1 ही निःशक्तजन है जिसकी निःशक्तता मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत से कम बताई गई है। अतः इस 1



अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ न देते हुए सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों के साथ मेरिट सूची में सम्मिलित किया गया है।

3) उपस्थित 20 अभ्यर्थियों में से ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट पद हेतु अभ्यर्थियों ने 12वीं की परीक्षा गणित संकाय से 2 व शेष 18 अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण की है परीक्षा हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 28.1.16 में निर्दिष्ट आवेदन की शर्तों के अनुसार इनमें से गणित संकाय के 2 अभ्यर्थी को मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दो अभ्यर्थियों जिन्होंने बिहार इंटरमीडियेट एजुकेशन काउन्सिल पटना से परीक्षा उत्तीर्ण की है, की शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है।

4) ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट कैडर में केवल 1 अभ्यर्थी ने Annulled marriage category के अन्तर्गत आवेदन किया था जो की Annulled marriage category आरक्षण हेतु योग्य नहीं पायी गई। अतः इस श्रेणी में किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

5) उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में रोस्टर अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

6) भूतपूर्व सैनिक कोटे में किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया था अतः इस श्रेणी में किसी भी अभ्यर्थी को हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

7) इससे पूर्व ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट कैडर हेतु प्रश्नपत्र, मय उत्तर कुंजी के, प्रकाशित किये गये थे जिनपर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः इसके अनुसार ही ये प्रोवीजनल मेरिट सूची तैयार की गयी है।

कुल पदों की संख्या	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या	दस्तावेज सत्यापन में बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (2 अभ्यर्थी 12वीं परीक्षा गणित विषय से एवं 2 मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं उत्तीर्ण करने वाले)	मेरिट सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
12	32	24	24 (1 निःशक्ताजन अभ्यर्थी सहित)	3	4	17

32

8) यह प्रोवीजनल मेरिट सूची माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित रोस्टर अनुसार तैयार की गयी है-

रोस्टर: ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट-12 पद

ऑडियो लॉजिस्ट कैडर	अनारक्षित		आरक्षित अनु. जाति 16%		आरक्षित अनु. जनजाति 12 %		आरक्षित ओ.बी.सी. 21%		आरक्षित एस.बी.सी. 5%		टीएसपी एस.टी.		टीएसपी एस.सी.	
कुल पद	8		1		1		2		0		0		0	
	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%
रोस्टर अनुसार भरे गये	6	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	7	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

टीएसपी अनारक्षित		सहरिया		सहरिया ओ.बी.सी.		सहरिया अनु. जाति		सहरिया अनु. जनजाति		सहरिया एस.बी.सी.	
0		0		0		0		0		0	
सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ऑडियो लॉजिस्ट कैडर	अनारक्षित		आरक्षित अनु. जाति 16%		आरक्षित अनु. जनजाति 12 %		आरक्षित ओ.बी.सी. 21%		आरक्षित एस.बी.सी. 5%		टीएसपी एस.टी.		टीएसपी एस.सी.	
कुल पद	8		1		1		2		0		0		0	
	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%
कट ऑफ	35.417		45.833	0	0	0	45.833	0	0	0	0	0	0	0
जन्म तिथि	16.11.95		12.9.97	0	0	0	26.6.90	0	0	0	0	0	0	0



टीएसपी अनारक्षित		सहरिया		सहरिया ओ.बी.सी.		सहरिया अनु. जाति		सहरिया अनु. जनजाति		सहरिया एस.बी.सी.	
0		0		0		0		0		0	
सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%	सामान्य 70%	महिला 30%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9) जिन ओ.बी.सी./एस.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना पाया गया उन्हें भी मेरिट सूची में सम्मिलित तो किया गया है किन्तु ऐसे समस्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन नवीनीकृत वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10) समान पर्सन्टाइल वाले परीक्षार्थियों में जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले परीक्षार्थी को मेरिट में नियमानुसार वरीयता प्रदान की गई है। अतः इस प्रकार अन्तिम कटऑफ पर एक से अधिक परीक्षार्थी होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले परीक्षार्थी को चयन में वरीयता प्रदान की गई है।

11) दिनांक 28.01.16 की विज्ञप्ति में दी गई शर्त संख्या 3:आरक्षण के उप बिन्दु 4 व 5 पर दी गई शर्त के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके माता-पिता के नाम/निवास स्थान एवं आय के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था। अतः ऐसे सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जिन्होंने उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया को इसप्रोवीजनल मेरिट सूची में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही स्थान दिया गया है।

12) सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट कैंडर के कुल 12 पदों हेतु प्रोवीजनल मेरिट सूची निम्नानुसार जारी की जाती है—



**Category wise Provisional Merit List of
Audiologist cum Speech Therapist Cadre**

Unreserved (UR) Category																
SL. No.	Merit rank	Application Number	Roll number	Candidate name	Father Name	Gender	Belongs to Rajasthan	Home district	Date of Birth	Caste Category	Degree/ Diploma	College Name	University Name	Passing Year	Horizontal Category	Percentile
1	1	HFW0037962	43411552683	HEENA AGRAWAL	HEMRAJ AGRAWAL	Female	YES	Kota	30-Oct-86	GENERAL	Degree/ B/BASLP	Osmania university	Osmania university/ RUHS	2011	NULL	97.917
2	3	HFW0041368	22211540690	DEEPAK DADHICH	ARVIND DADHICH	Male	YES	Nagaur	9-Aug-90	GENERAL	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2009	NULL	89.583
3	4	HFW0068628	10611514070	DINESH KUMAR SHARMA	LALA RAM SHARMA	Male	YES	Jaipur	10-Mar-86	GENERAL	Degree/B/Provisional BASLP	RUHS	RUHS	2008	NULL	85.417
4	5	HFW0059072	10411505960	AKHILESH JOSHI	LAXMI NARAYAN JOSHI	Male	YES	Bhilwara	18-Sep-87	GENERAL	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2009	NULL	81.250
5	6	HFW0083271	10711516070	KRISHAN KUMAR YADAV	MALI RAM YADAV	Male	YES	Jaipur	7-Jul-90	OBC (NC)	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2009	NULL	75.000
6	8	HFW0057443	10411505958	ARUN DADHICH	BANWARI LAL SHARMA	Male	YES	Ajmer	29-Sep-87	GENERAL	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2009	NULL	68.750
7	9	HFW0056467	10411505957	PARUL SHARMA	JAGDISH PRASAD SHARMA	Female	YES	Ajmer	29-Nov-89	OBC (NC) OLD	Diploma	Indira Gandhi national Open University	Open University New Delhi	2011	NULL	64.583
8	10	HFW0007152	10211501029	ARVIND PALARIA	OM PRAKASH PALARIA	Male	YES	Ajmer	22-Feb-87	OBC (NC) OLD	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2009	NULL	60.417

SC Reserved Category																
SL. No.	Merit rank	Application Number	Roll number	Candidate name	Father Name	Gender	Belongs to Rajasthan	Home district	Date of Birth	Caste Category	Degree/ Diploma	College Name	University Name	Passing Year	Horizontal Category	Percentile
1	14	HFW0042431	10411505560	PREM PRAKASH	SHAITAN RAM	Male	YES	Ajmer	12-Sep-97	SC	Diploma	AJ/NIHH- Mumbai		2015	NULL	45.833

OBC Reserved Category																
SL. No.	Merit rank	Application Number	Roll number	Candidate name	Father Name	Gender	Belongs to Rajasthan	Home district	Date of Birth	Caste Category	Degree/ Diploma	College Name	University Name	Passing Year	Horizontal Category	Percentile
1	12	HFW0026940	10411505260	NAVEEN KUMAR	JAGDISH PRASAD	Male	YES	Ajmer	20-Sep-86	OBC (NC)	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2010	NULL	52.083
2	13	HFW0045261	10411505710	SARIKA PANWAR	GOPAL SINGH PANWAR	Female	YES	Ajmer	26-Jun-90	OBC (NC)	Diploma	Manipal University Karnataka	Manipal University Karnataka	2010	NULL	45.833

DoP (UR)																
SL. No.	Merit rank	Application Number	Roll number	Candidate name	Father Name	Gender	Belongs to Rajasthan	Home district	Date of Birth	Caste Category	Degree/ Diploma	College Name	University Name	Passing Year	Horizontal Category	Percentile
1	16	HFW0035699	10411505410	TRILOK KUMAR SUVAL	RAMPAL SUVAL	Male	YES	Ajmer	16-Nov-95	SC	Diploma National Insitute of Hearing Handicapped 2015	NULL	Unmarried	NO	NA	35.417

उपरोक्त जारी की जाने वाली प्रोवीजनल मेरिट सूची पर आपत्तियां/परिवेदनाएं जारी करने की दिनांक से 5 दिवस के भीतर आमंत्रित की जाती हैं जिसके बाद प्राप्त आपत्तियों/परिवेदनाओं पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तत्पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/परिवेदनाओं के (यदि कोई हों तो) निराकरण उपरान्त अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी जावेगी। आपत्तियों/परिवेदनाओं के (यदि कोई हों तो) निराकरण के उपरान्त जारी की जाने वाली मेरिट सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में वर्तमान एवं भविष्य में विचाराधीन मामलों पर दिये गये निर्णयों एवं राज्य सरकार/चिकित्सा विभाग/एन.एच.एम. विभाग के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगी। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों का संबंधित जारीकर्ता विभाग/एजेन्सी/अधिकारी/व्यक्ति से पुष्टिकरण विभाग द्वारा कराया जा सकेगा एवं इस कारण से यह प्रोवीजनल मेरिट सूची व अंतिम मेरिट सूची इस पुष्टिकरण के परिणाम के भी अध्याधीन होगी।

अंतिम तौर पर चयनित समस्त अभ्यर्थियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/एन.एच.एम. विभाग द्वारा इन भर्तियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये एवं भविष्य में जारी किये जाने वाले सर्कुलर/सूचना/निर्णयों/आदेशों इत्यादि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान निर्धारित शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता प्राप्त नहीं की है उनका यदि मेरिट में चयन हो जाता है तो ऐसे किसी भी चयन को निरस्त करने का राज्य सरकार/विभाग को पूर्ण अधिकार होगा। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे उस संस्थान की मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जहाँ से उन्होंने व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की है।

इन परिणामों के सम्बन्ध में दी जा सकने वाली कोई भी जानकारी विभागीय निर्देशों के अध्याधीन होगी।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वा.सेवाएं, राजस्थान

क्रमांक: F-100(14)/SIHFW/Recruit-NHM/Physio/15-16/12567-74 दिनांक: 15-12-16
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम।
4. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट कैंडर की प्रोवीजनल मेरिट सूची का प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट पर कराने का श्रम करावें।
6. परियोजना निदेशक, एन.एच.एम।
7. सर्वर रूम प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
8. कार्यालय प्रति।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वा.सेवाएं, राजस्थान